भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/04/29/2017/एफ0सी0/608

दिनॉक : 21/11/17

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 झॉसी द्वारा 765 के0 वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–1220/11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016 दिनॉक– 30.10.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2393/11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016 दिनॉक– 24.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.06.2017 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या निर्धारित समयावधि में न प्राप्त होने की दशा में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–27.09. 2017 द्वारा चाही गयी सूचना की अनुपालना आख्या पत्र जारी होने के 45 दिवस के भीतर न प्राप्त होने की दशा में प्रकरण को वन संरक्षण अधिनियम 2003 के पैरा 4.14 (i) के तहत बन्द किये जाने का नोटिस जारी किया गया था।

उक्त नोटिस एवं दिनांक– 28.06.2017 द्वारा चाही गयी सूचना की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–1220/11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016 दिनॉक– 30.10.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तुत अनुपालना आख्या में राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.06.2017 द्वारा चाही गयी सूचना की आख्या विलम्ब से प्रेषित किये जाने का कारण स्पष्ट नही किया है।

अतः राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.06.2017 द्वारा चाही गयी सूचना की आख्या विलम्ब से भेजने का कारण स्पष्ट करें।

भवदीय,

20.11.17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. विशेष सचिव (वन),उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एवं जालौन, उ0 प्र0।
4. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, बाहर दतिया गेट, झांसी, उ0 प्र0।
5. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 1539/11–सी FP/UP/Trans/22022/2016, दिनाँकः नवम्बर 24, 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित उपरोक्त सूचना/अभिलेख तथा भारत सरकार के पत्रांक–II/1082/क्लोज प्रथम स्टेज/यू0पी0/2013/567, दिनाँक–06.11.2017 एवं इस कार्यालय की पृष्ठांकन संख्या–1337/11–सी, दिनांक 13.11.2017 द्वारा चाही गयी अतिरिक्त सूचना यथा–1– इस प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है कि नहीं? 2– प्रकरण के वस्तुस्थिति में कालान्तर होने के कारण कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं? की अतिरिक्त सूचना दो प्रतियों में तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

1– वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी एवं जालौन।
3– मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, बाहर दतिया गेट, झांसी।

24/11

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

26.11.17

by mail
24/11/2017
Devendra

Lt. ST Page No.541